







Mahendra's



# UP POLICE कास्टेल / UP लेखपाल

GK/GS

हैली स्पेशल



LIVE 02:00 PM





# **Prime Minister & Parliament**

# Council of Ministers

## Article - 74

- The Union Council of Ministers exercises executive authority in the Republic of India.
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करती है।
- It consists of senior ministers, called 'cabinet ministers', junior ministers, called 'ministers of state' and, rarely, deputy ministers.
- इसमें वरिष्ठ मंत्री होते हैं, जिन्हें 'कैबिनेट मंत्री' कहा जाता है, कनिष्ठ मंत्री, जिन्हें 'राज्य मंत्री' कहा जाता है और, शायद ही कभी, उप मंत्री।
- It is led by the Prime Minister. A smaller executive body called the Union Cabinet is the supreme decision-making body in India.
- इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटा कार्यकारी निकाय भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।

- There shall be a **Council of Minister** with the Prime Minister at the head to aid and advise the President.
- राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।

# Prime Minister

## Article - 75

- Only the prime minister and ministers of the rank of cabinet minister are members of “Union Cabinet” in accordance with Article 75.
- अनुच्छेद 75 के अनुसार केवल प्रधान मंत्री और कैबिनेट मंत्री रैंक के मंत्री "केंद्रीय मंत्रिमंडल" के सदस्य हैं।
- The Prime Minister shall be appointed by President and the other Ministers is shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.
- प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर की जाएगी।
- Article 75(3), the Council of Ministers is responsible collectively to the lower house of the Indian parliament, called the Lok Sabha (House of the People).
- अनुच्छेद 75 (3), मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से भारतीय संसद के निचले सदन के लिए जिम्मेदार है, जिसे लोकसभा (लोगों का सदन) कहा जाता है।

- When a bill introduced by a minister in the Lok Sabha is not approved by it, the entire council of ministers is responsible and not the minister.
- जब किसी मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया बिल इसके द्वारा अनुमोदित नहीं होता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है न कि मंत्री।
- The council of ministers upon losing confidence of Lok Sabha shall resign to facilitate new government formation.
- लोकसभा का विश्वास खोने पर मंत्रिपरिषद नई सरकार के गठन की सुविधा के लिए इस्तीफा दे देगी।
- A minister shall not take any decision without being considered by the council of ministers per Article 78(c).
- अनुच्छेद 78(c) के अनुसार कोई मंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किए बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता।

# Council of Ministers

- There are five categories of the council of ministers as given below, in descending order of rank:
  - Prime Minister / प्रधान मंत्री
  - Deputy prime minister (if any); presides as prime minister in his absence or as the senior most cabinet minister.
  - उप प्रधान मंत्री (यदि कोई हो); उनकी अनुपस्थिति में प्रधान मंत्री के रूप में या सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में अध्यक्षता करता है।
  - Cabinet minister: member of cabinet; leads a ministry.
  - कैबिनेट मंत्री: कैबिनेट के सदस्य; एक मंत्रालय का नेतृत्व करता है।
  - Minister of state (independent charge): junior minister not reporting to a cabinet minister.
  - राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): कनिष्ठ मंत्री कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।

- Minister of state (MoS): deputy minister reporting to a cabinet minister, usually tasked with a specific responsibility in that ministry.
- राज्य मंत्री (MoS): कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करने वाले उप मंत्री, आमतौर पर उस मंत्रालय में एक विशिष्ट जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं।

# Parliament

➤ According to Article 79 there shall be a Parliament in India.

➤ अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगी।

➤ Indian Parliament consist of –

➤ भारतीय संसद से मिलकर बनता है -

1. President
2. Rajya Sabha
3. Lok Sabha

• The Sansad Bhavan (Parliament House) is located in New Delhi. It was designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker.

• संसद भवन (संसद भवन) नई दिल्ली में स्थित है। इसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था।

# Session of Parliament

- The period during which the House meets to conduct its business is called a session.
- जिस अवधि के दौरान सदन अपना कार्य करने के लिए बैठक करता है उसे सत्र कहा जाता है।
- The Constitution empowers the President to summon each House at such intervals that there should not be more than a six-month gap between the two sessions
- संविधान राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन को इस तरह के अंतराल पर बुलाने का अधिकार देता है कि दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए
- Parliament conducts three sessions each year:
- संसद हर साल तीन सत्र आयोजित करती है:
- Budget session: February to May / बजट सत्र: फरवरी से मई
- Monsoon session: July to September / मानसून सत्र: जुलाई से सितंबर
- Winter session: November to December / शीतकालीन सत्र: नवंबर से दिसंबर

# Lawmaking procedures

- Legislative proposals are brought before either house of the Parliament in the form of a bill.
- विधेयक के रूप में विधायी प्रस्तावों को संसद के किसी भी सदन के समक्ष लाया जाता है।
- A bill is the draft of a legislative proposal, which, when passed by both houses of Parliament and assented to by the President, becomes an Act of Parliament.
- एक विधेयक एक विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होने पर संसद का एक अधिनियम बन जाता है।
- Money bills must originate in the Lok Sabha.
- धन विधेयकों की उत्पत्ति लोकसभा में होनी चाहिए।
- The Council of States can only make recommendations over the bills to the House, within a period of fourteen days.
- राज्यों की परिषद केवल चौदह दिनों की अवधि के भीतर सदन को विधेयकों पर सिफारिशें कर सकती है।

# Rajya Sabha

## Article - 80

- Rajya Sabha is **Upper House of Indian Parliament.**
- राज्य सभा भारतीय संसद का उच्च सदन है।
- One third of the members retire every second year, and are replaced by newly elected members.
- प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, और उनके स्थान पर नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं।
- The upper limit of Rajya Sabha is **250 members**, out of which **12** are **nominated** by the President from following field – **Art, Literature, Science, Social Service.**
- राज्यसभा की ऊपरी सीमा 250 सदस्यों की है, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं - कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा।

# Rajya Sabha

- U.P has the highest number of seats in Rajya Sabha – 31.
- यूपी में राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं - 31।
- It is a **permanent body**.
- यह एक स्थायी निकाय है।
- To become a member of Rajya Sabha he or she must be of 30 years.
- राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
- The Vice – President is an “**ex – officio chairman**” of Rajya Sabha.
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का "पदेन सभापति" होता है।

# Lok Sabha

- It is the **Lower House** of the Parliament.
- यह संसद का निचला सदन है।
- It is a non permanent body.
- यह एक अस्थाई निकाय है।
- Its term is **5 years**, it can be dissolved by the President before 5 years.
- इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसे राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है।
- The chairman of Lok Sabha is called Speaker.
- लोकसभा के सभापति को अध्यक्ष कहा जाता है।
- Speaker is elected by the member of Lok Sabha.
- स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है।

# Lok Sabha

- The upper limit of Lok Sabha is **552 members**.
- लोकसभा की ऊपरी सीमा 552 सदस्यों की है।
- 543 members are directly elected by citizens of India on the basis of universal adult franchise and 2 members are appointed by the President of India from the Anglo-Indian Community.
- 543 सदस्य भारत के नागरिकों द्वारा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुने जाते हैं और 2 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय से नियुक्त किए जाते हैं।
- U.P has the upper limit in Lok Sabha is **80 members**.
- यूपी की लोकसभा में ऊपरी सीमा 80 सदस्यों की है।
- The members of Lok Sabha he or she must be of **25 years**.
- लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।

# Lok Sabha

- The speaker is a member of Lok Sabha.
- स्पीकर लोकसभा का सदस्य होता है।
- Normally, he does not vote because his vote is decisive.
- आम तौर पर, वह वोट नहीं देता क्योंकि उसका वोट निर्णायक होता है।
- To remove speaker, the resolution is introduced in Lok Sabha.
- स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है।
- He submits his **resignation letter** to **Deputy Speaker**.
- उन्होंने अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को सौंपा।







00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20



00:20